


03.02.23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी उत्प. उत्प. पत्रावली है। अतः पत्रावली आयुदा त्वरंवाही के लिए दिनांक 07.02.23 को पेश हो।


रीडर
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

07.02.2023

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिकारिता अयस्कृत/अमीलाबट अधिकारिता द्वारा आदेशिका पर नौ-इंस्क्रिप्शन अंकन कर अंशगत कराया गया कि अमीलाबट/गिण द्वारा उनसे पत्रावली लेकर हियायत मैरवी नहीं दी है। ~~अमीलाबट~~ कावपूय सूचना के अयस्कृत नहीं हुआ एवं ना ही उनकी ओर से कोई अन्य अधिकारिता अयस्कृत हुए। अतः पत्रावली/प्रकरण अमीलाबट की अयम टाजरी अयम मैरवी में श्वारिज की जाती है। प्रकरण नंबर से कम हो।


जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण अमीलाबट
में है पत्रावली
हियायत मैरवी
Rakesh sur
07-02-23